

प्रकरण सं. 03/23 सरकार बनाम पंकज कुमारी जोराल

-27 पत्रावली पेश हुई। मूल वाद धारा 177 आर.टी.ए. अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजात एवम् शपथ पत्र के आधार पर खारिज किया जा चुका है। मूल वाद खारिज होने से इस प्रकरण का कोई औचित्य शेष नहीं रह जाता है। अतः इस प्रकरण को भी खारिज किया जाता है।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल अभिलेखागार हो।

*Box*